

In the Court of Exclusive Spl. Judge, SC/ST (PoA) Act, Begusarai

ABA—2718 / 2022

11—01—2023 : आवेदक **सौरभ कुमार उर्फ रवि किशन** की ओर से वाद वापसी हेतु एक आवेदन दिया गया। आवेदन का प्रति विषेय अभियोजन पदाधिकारी को दिया गया।

वाद पुकार पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। आवेदन को प्रचालित किया गया तथा निवेदन करते हैं कि अभियुक्त करा अभिरक्षा में लिया जा चुका है अतएव वाद को वापस किया जाय। विषेय अभियोजन पदाधिकारी द्वारा बचाव पक्ष के अधिवक्ता समर्थन करते हैं सुना,

उभय पक्ष के निवेदन पर वाद वापसी के कारण **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

ह0—

प्रभारी विशेष न्यायाधीश
अनु० जाति जनजाति (अत्या० नि०)
अधिनियम बेगूसराय